न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 90/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/136

प्रार्थी :–
सुनिल पुत्र स्व.नारायणराम जाति मेघवाल निवासी खुड़ेचा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 07.05.2024

"आदेश"

दिनांक : 21/8/25

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम खुड़ेचा पटवार हल्का नानण, भू–अभि.नि. कोसाणा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व प्रार्थी की माता शांतिदेवी पत्नि स्व. नारायणराम की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 185 क्षेत्रफल 1.9012 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है जिसको आगें प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत मे नकल जमाबन्दी संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी का फोतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करते समय प्रार्थी नाबालिग था उस समय घर में बोल चाल का नाम सेठाराम पुत्र नारायणराम इन्द्राज कर दिया वर्तमान मे उक्त भूमि में नाबालिग सेठाराम पुत्र नारायणराम इन्द्राज है। जिसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम सुनिल पुत्र नारायणराम इन्द्राज करने हेतु उक्त रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के विद्यालय रेकर्ड में प्रार्थी नाम सुनील पुत्र नारायणराम है, प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सुनील पुत्र नारायणराम दर्ज है इसलिए वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम इन्द्राज किया जावें। मामला प्रथम दृष्टया रेकर्ड दुरूस्ती का है इसलिए न्यायहित मे प्रार्थी का नाम वादग्रस्त आराजी में दुरूस्त फरमाया जावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम खुड़ेचां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 185 क्षेत्रफल 1.9092 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि का रेकर्ड दुरूस्त फरमाते हुए नाबालिग सेठाराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर सुनील पुत्र नारायणराम इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम खुड़ेचा के खसरा नम्बर 185 क्षैत्रफल 1.9012 में प्रार्थी का नाम में सेठाराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर सुनिल पुत्र नारायणराम दर्ज किया जाना उचित बताया हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खुड़ेचा के खसरा नम्बर 185 क्षैत्रफल 1.9012 में प्रार्थी का नाम में सेठाराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर सुनिल पुत्र नारायणराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21/8/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर